



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवेभर्तीबोर्ड



विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना सीईएन संख्या:
01/2026



सहायक लोकोपायलट (एएलपी) की भर्ती



विषय-सूची

क्रम संख्या	पैरा संख्या	सामग्री	पेज नंबर
1		महत्वपूर्ण तिथियाँ	4
2		महत्वपूर्ण निर्देश	4
3	1.0	सामान्य निर्देश	6
4	2.0	रिक्तियाँ	8
5	3.0	पदों के लिए चिकित्सा मानक	8
6	4.0	राष्ट्रीयता/नागरिकता	8
7	5.0	आयु सीमा	9
8	5.1	आयु में छूट	9
9	5.2	उम्मीदवारों की जन्म तिथि	9
10	6.0	शैक्षणिक योग्यता	10
11	7.0	परीक्षा शुल्क	10
12	7.1	शुल्क भुगतान के तरीके	11
13	7.2	अल्पसंख्यक	11
14	7.3	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी)	11
15	7.4	परीक्षा शुल्क की वापसी	11
16	8.0	लंबवत आरक्षण	11
17	8.5	ओबीसी आरक्षण	12
18	8.9	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	13
19	9.0	क्षैतिज आरक्षण	13
20	10.0	भूतपूर्व सैनिक	13
21	11.0	वर्तमान नियोक्ता से अनापात्त प्रमाण पत्र	14
22	12.0	भर्ती प्रक्रिया	15
23	12.1 (क)	अंकों का सामान्यीकरण	15
24	13.0	आवेदन कैसे करें	17
25	13.2	एक खाता बनाएं	17
26	13.4	आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो कैप्चरिंग	18
27	13.5	अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज़	19
28	13.7	विभिन्न आरआरबी और उनकी वेबसाइटों का विवरण	20
29	14.0	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश	20
30	15.0	आवेदन का संशोधन	21
31	16.0	अमान्य आवेदन/अस्वीकृति	21
32	17.0	ई-कॉल पत्र पर निर्देश	21
33	18.0	मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रारूप प्रमाण पत्र	22
34	19.0	अनुचित प्रथाओं का उपयोग	22
35	20.0	विविध	23
36	21.0	इस सीईएन में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर	23

अनुलग्नकों की सूची

क्रम संख्या	अनुलग्नक संख्या	सामग्री	पृष्ठ संख्या
1	अनुलग्नक-ए	पोस्ट पैरामीटर	25
2	अनुलग्नक-बी	आरआरबी और जोन वार रिक्ति तालिका	26
3	अनुलग्नक-।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप	27
4	अनुलग्नक-।।	ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप	28
5	अनुलग्नक-।। ए	ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों द्वारा स्व-घोषणा	29
6	अनुलग्नक-।।।	आय और संपत्ति प्रमाण पत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	30
7	अनुलग्नक-।।।।	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र (ईबीसी)	31
8	अनुलग्नक- V	अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रोफार्मा दस्तावेज़ सत्यापन	32
9	अनुलग्नक- VI	असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को लेसिक या दूसरी करेक्टिव आई सर्जरी के बारे में सेल्फ डिक्लैरेशन का प्रोफार्मा जमा करना होगा।	33
10	अनुलग्नक- VIIA	एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट जो एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख पर काम कर रहे हैं, उन्हें CEN नंबर 01/2026 के तहत एक्स-सर्विसमैन कोटा पाने के लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर से नौकरी के बारे में सर्टिफिकेट का फॉर्म जमा करना होगा।	34
11	अनुलग्नक- VIIB	सीईएन संख्या: 01/2026 के तहत एक्स-सर्विसमैन कोटा का फायदा उठाकर सिविल नौकरी के बारे में एक्स-सर्विसमैन उम्मीदवारों को सेल्फ-डिक्लैरेशन का प्रोफार्मा जमा करना होगा।	35
12	अनुलग्नक- VIIIA	सहायक लोको पायलट (एएलपी)-सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लैरेशन रिपोर्ट पार्ट-ए सीबीएटी परीक्षा के दिन प्रस्तुत करना होगा।	36
13	अनुलग्नक- VIIIB	सहायक लोको पायलट (एएलपी)-सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लैरेशन रिपोर्ट पार्ट-बी सीबीएटी परीक्षा के दिन प्रस्तुत करना होगा।	37
14	अनुलग्नक - IX	फॉर्म ऑनलाइन जनरेट किया जाता है और इसे मैनुअल रूप से नहीं भरा जाना चाहिए	38

भारत सरकार
(रेल मंत्रालय)
रेलवे भर्ती बोर्ड

केन्द्रोक्त रोजगार सूचना संख्या: सीईएन-
सहायक लोको पायलट (एएलपी) की भर्ती

रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना की तिथि	21.03.2026
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि और समय	15.05.2026 (00:00) घंटे।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय	14.06.2026 (23:59) घंटे.
जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	16.06.2026 (23:59) घंटे।
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो के लिए तिथियां (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने हुए आरआरबी को संशोधित नहीं किया जा सकता है)	17.06.2026 से 26.06.2026 (23:59 बजे)

नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन (सभी मामलों में पूर्ण) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के 23.59 घंटे तक केवल ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए

पद	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	प्रारंभिक वेतन (₹.)	चिकित्सा मानक	आयु 01-07-2026 तक	कुल रिक्तियां (सभी आरआरबी)
सहायक लोको पायलट (एएलपी)	लेवल-2	19900	ए-1	18 – 30 वर्ष	11127
आरआरबी-वार और रेलवे जॉन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक बी में दिया गया है।					

महत्वपूर्ण निर्देश

- (1) कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले CEN में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें।
- (2) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस सीईएन के खिलाफ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यता को पूरा करते हैं। निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- (3) आवेदन केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। उम्मीदवारों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता का पता लगाने के लिए इस विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक ए और अनुलग्नक बी को देखना होगा। इसके बाद ही, उम्मीदवार को चुने हुए आरआरबी के भीतर जॉनल रेलवे और पोस्ट के लिए विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। आरआरबी का चयन, एक बार प्रयोग करने और जमा करने के बाद, अंतिम होगा और बाद की तारीख में बदला नहीं जा सकता है। उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस सीईएन में अधिसूचित पद के लिए प्रति उम्मीदवार केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जो आवेदक इस सीईएन के खिलाफ एक से अधिक आवेदन जमा करते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आरआरबी और आरआरसी की भर्ती प्रक्रिया और भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- (4) उम्मीदवारों की पात्रता केवल ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विवरण की संख्या के आधार पर अंतिम होगी। आरआरबी पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए, उम्मीदवारी केवल अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी, जो आवश्यक के अनुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन है। उम्मीदवारों को शैक्षिक / तकनीकी योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं से गुजरना चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं। आरआरबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के दौरान शैक्षणिक योग्यता/ आयु / जाति / श्रेणी, आदि के प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे प्रमाण पत्र / दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी गलत / गलत है या यदि उम्मीदवार ने किसी भी प्रासंगिक जानकारी को दबा दिया है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
- (5) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु-छूट, आदि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, इस सीईएन के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
- (6) मेडिकल फिटनेस: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एएलपी के पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो उम्मीदवार इस पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाते हैं, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
- (7) आयु (01-07-2026 तक): 18 - 30 वर्ष (आयु में छूट के विवरण के लिए कृपया पैरा 5.1 देखें)।
- (8) आरआरबी का चयन: इस सीईएन में दर्शाई गई आरआरबी-वार और रेलवे-वार रिक्तियां अंतिम हैं और ये संबंधित रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। उम्मीदवार केवल एक आरआरबी चुन सकते हैं और केवल चुने हुए आरआरबी के

- तहत अधिसूचित रेलवे जोन के लिए अपनी वरीयता का संकेत दे सकते हैं।
- (9) उम्मीदवारों के पास भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और / या ईमेल के माध्यम से होंगे।
- (10) ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों में इस सीईएन के लिए दिए गए लिंक के माध्यम से जाना होगा। उम्मीदवारों को केवल एक आरआरबी चुनने और अधिसूचित पदों के लिए केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवार को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही 2024/2025 में अधिसूचित CEN के लिए एक खाता बना लिया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस CEN (यानी, CEN नंबर 01/2026) के लिए भी आवेदन करने के लिए उसी खाता क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने अब तक "खाता नहीं बनाया है", तो उम्मीदवारों को पहले एक खाता बनाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। **खाता निर्माण के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के पास एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए। 'खाता बनाएं' फॉर्म (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में भरे गए विवरण में कोई बदलाव बाद में अनुमति नहीं दी जाएगी।**
- (11) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में "खाता बनाएं" चरण के दौरान डिजिलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण से चूक जाते हैं, तो वे अभी भी "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग करके और अपना आधार विवरण प्रदान करके ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान प्रमाणित कर सकते हैं। किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन जमा करने से पहले यह कार्रवाई किसी भी समय की जानी चाहिए। इससे उम्मीदवारों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में एक आसान प्रक्रिया की सुविधा मिलेगी। यदि आवेदक वैकल्पिक फोटो आईडी के साथ अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को सत्यापित करते हैं, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच के अधीन किया जाएगा।
- (12) **मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, राष्ट्रीयता, जन्म तिथि, मैट्रिक रोल नंबर और मैट्रिक प्रमाण पत्र क्रम संख्या, मैट्रिक प्रमाण पत्र की तारीख और ईकेवाईसी सहित 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण को खाता बनने के बाद किसी भी स्तर पर, किसी भी स्थिति में संशोधित नहीं किया जा सकता है।**
- (13) ऑनलाइन आवेदन जमा करने (सभी मामलों में पूर्ण) और अपेक्षित शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान के बाद, यदि कोई उम्मीदवार "खाता बनाएं" और "चुने हुए आरआरबी" में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को और संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है, तो वह 17-06-2026 से 26-06-2026 तक प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (गैर-वापसी योग्य) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। **'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी को बदला नहीं जा सकता है।**
- 26-06-2026 के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
- (14) दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग आरआरबी-वार उस आरआरबी के लिए अधिसूचित रिक्तियों के 15 (पंद्रह) गुना की दर से की जाएगी (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है)। यह CBT-1 में उनकी योग्यता के आधार पर उन उम्मीदवारों के बीच होगा जिन्होंने एक ही RRB को चुना है। परीक्षा के सभी चरणों में अंक सामान्य किए जाएंगे जिनमें कई शिफ्ट शामिल हैं। यदि एक से अधिक उम्मीदवार कट-ऑफ पॉइंट के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो उन सभी को सीबीटी -2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- (15) सीबीटी -2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किया जाएगा और साथ ही एसएमएस और ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर) के माध्यम से सीबीटी -2 में उपस्थित होने के लिए अपने ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सूचित किया जाएगा।
- (16) सीबीटी-1/सीबीटी-2/सीबीएटी के लिए केंद्र/शहर का आवंटन और परीक्षा की तारीख तकनीकी और लॉजिस्टिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। सीबीटी/सीबीएटी में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। परीक्षा की तारीख / केंद्र / तारीख / शिफ्ट में परिवर्तन के लिए अनुरोध किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (17) **नकारात्मक अंकन:** सीबीटी -1 और सीबीटी -2 दोनों में नकारात्मक अंकन (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए @ 1/3 अंक) होगा। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।
- (18) **कदाचार:** कोई भी उम्मीदवार परीक्षा/सीबीटी में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अपने स्थान पर किसी और को भेजता है, प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, तो उसे जीवन भर के लिए सभी आरआरबी / आरआरसी की सभी परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा। उसे रेलवे में किसी भी नियुक्ति को प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा, और यदि पहले से ही नियुक्त किया गया है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार कानूनी अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी हैं। (21.06.2024 से प्रभावी अधिनियम "सार्वजनिक परीक्षा" (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो sansad.in>विधान>विधेयक और भारत के राजपत्र पर भी उपलब्ध dopt.gov.in/whats-new पर उपलब्ध है।
- (19) **प्रतिबंधित वस्तुएं:** मोबाइल फोन, पेजर, घड़ियां, ईयरफोन, ब्लूटूथ सक्षम उपकरण, माइक्रोफोन, स्वास्थ्य बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, कागज, पेंसिल, इरेज़र, पाउच, स्केल, राइटिंग-पैड, बेल्ट, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैकेज्ड/खुले खाद्य पदार्थ आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र के अंदर केवल ई-कॉल लेटर की अनुमति होगी। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी पेन/पेंसिल नहीं ले जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों/पैरों पर मेंहदी न लगाएं क्योंकि इससे बायोमेट्रिक्स को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है। किसी भी उल्लंघन के कारण कानूनी कार्रवाई और भविष्य की भर्ती परीक्षाओं से वंचित होने के अलावा अयोग्यता भी होगी।
- (20) सामान की सुरक्षा के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी

जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी मूल्यवान/प्रतिबंधित सामान न लाएं।

महत्वपूर्ण: प्रामाणिक और समय पर जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों को देखें (पैरा 13.7 (नीचे) में सूचीबद्ध। नकली वेबसाइटों से सावधान रहें - वे भ्रामक और गलत जानकारी दे सकते हैं।

1.0 सामान्य निर्देश

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, जो उम्मीदवार द्वारा सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन है।
- 1.2 जिन उम्मीदवारों को वर्तमान में किसी भी आरआरबी / आरआरसी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान उनकी उम्मीदवारी का पता चलने पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 1.3 जिन उम्मीदवारों को केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.4 इस अधिसूचना के खिलाफ पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता और चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से अपेक्षित तकनीकी योग्यता है। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोग पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.5 **जो उम्मीदवार इस सीईएन के खिलाफ एक से अधिक आवेदन जमा करते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और उन्हें आरआरबी और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) की भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।** इसी तरह, उन उम्मीदवारों के आवेदन जो एक से अधिक आरआरबी और/या एक से अधिक आरआरबी को जानकारी और/या तथ्यों के मामूली बदलाव के साथ कई आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।
- 1.6 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पैरा 13.4 में दिए गए निर्देशों के अनुसार और पैरा 13.5.1 में उल्लिखित मानक विनिर्देशों के अनुसार, लिखावट हस्ताक्षर चलाने में अपनी एक लाइव छवि अपलोड करें। धुंधले, अस्पष्ट, या गैर-मानक तस्वीरों और / या हस्ताक्षर वाले आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकार किए जा सकते हैं। सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में और लिखावट चलाने में एक समान और समान होने चाहिए। कोई कैपिटल/ब्लॉक/असंबद्ध अक्षर/ हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं है।
- 1.7 केवल ई-कॉल पत्र जारी करने का मतलब यह नहीं है कि आरआरबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरणों के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनकी तस्वीर और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता को उम्मीदवार के अन्य आवश्यक क्रेडेंशियल्स के साथ सत्यापित किया जाएगा। उम्मीदवारों के क्रेडेंशियल्स को बाद के चरणों में उनकी प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता के साथ सत्यापित किया जाएगा।
- 1.8 आरआरबी पात्रता शर्तों का सत्यापन (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) तभी करते हैं जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं और दस्तावेज सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय, आरआरबी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल सहायक दस्तावेजों के खिलाफ ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों को सत्यापित करेगा। आवेदन में घोषित जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति या पात्रता मानदंडों (जैसे शैक्षिक/तकनीकी योग्यता, आयु, जाति/श्रेणी, चिकित्सा मानकों आदि) को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पता चलता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी प्रदान की है या भौतिक तथ्यों को दबाया है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी, और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को सरसरी तौर पर सेवा से हटा दिया जाएगा और इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की सभी परीक्षाओं से भी जीवन भर के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
- 1.9 उम्मीदवार को खाता बनाने के दौरान ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि दर्ज करनी चाहिए, जैसा कि एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10 वीं कक्षा परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज किया गया है।
 - 1.9(a) एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम के संबंध में नाम में किसी भी परिवर्तन के मामले में, उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में उपयुक्त स्थानों पर अपने बदले हुए नाम के साथ-साथ अपने एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10^{वीं} कक्षा के नाम का अलग-अलग उल्लेख करना चाहिए। हालांकि, अन्य सभी विवरण एसएससी / एसएसएलसी / मैट्रिक / 10 वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र के साथ मेल खाना चाहिए और इस तरह के परिवर्तन की तारीख ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख से पहले होनी चाहिए।
 - 1.9(b) ऐसे मामलों के लिए राजपत्र अधिसूचना या किसी अन्य कानूनी दस्तावेज के साथ-साथ बदले हुए नाम के साथ किसी भी वैध फोटो आईडी को सीबीटी -1 / सीबीटी -2 / सीबीटी / दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- 1.10 विस्तृत भर्ती प्रक्रिया पैरा 12 में दी गई है। सीबीटी-1, सीबीटी-2, सीबीएटी और डीवी की तारीखें भाग लेने वाले आरआरबी की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी, जैसा कि पैरा 13.7 में दिया गया है। सीबीटी-1, सीबीटी-2, सीबीएटी और डीवी (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर केवल संबंधित आरआरबी की वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाने चाहिए, जैसा कि पैरा 13.7 में दिया गया है। ई-कॉल लेटर में दर्शाई गई सीबीटी/सीबीएटी केंद्र और तारीख और शिफ्ट अंतिम होगी, और तारीख/समय/स्थान में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.11 आरआरबी बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी और/या सीबीएटी (जैसा लागू हो), अतिरिक्त डीवी आदि पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा, आरआरबी तकनीकी बाधाओं/अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी भी सीबीटी/सीबीएटी/डीवी को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 1.12 **निः शुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य निः शुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास (**यदि आवेदन में चुना गया है**), चयन के विभिन्न चरणों के लिए उनके ई-कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा, जैसे सीबीटी / सीबीएटी / डीवी / चिकित्सा परीक्षा (जैसा लागू हो) विवरण के अनुसार और उनके ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण पत्र।
ट्रेन आरक्षण बुक करते समय और यात्रा करते समय, उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए मूल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रमाण पत्र संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारियों को दिखाना होगा। इस मुफ्त यात्रा सुविधा के किसी भी दुरुपयोग के कारण चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसमें आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंध भी शामिल है और कानूनी कार्रवाई/परिणाम के लिए उत्तरदायी है।
- 1.13 पूर्व में दर्शाई गई रिक्तियां अंतिम हैं और संबंधित रेल प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बाद के चरण में कुल या विशिष्ट समुदायों/इकाइयों में वृद्धि या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं। रेलवे द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त पदों को भी बाद के चरण में शामिल किया जा सकता है। रेल प्रशासन के पास अपने विवेक से अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। इस तरह के रद्द होने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क उन उम्मीदवारों को छोड़कर वापस नहीं किया जाएगा जिन्होंने प्रथम चरण की परीक्षा (यानी, सीबीटी -1) में भाग लिया है। (धनवापसी के लिए पैरा 7.4 देखें)
- 1.14 **नियुक्ति का अधिकार:** आरआरबी द्वारा चयन उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। आरआरबी का कार्य केवल जोनल रेलवे के संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र के पूर्ववृत्त सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अध्यक्षीन नियुक्ति प्रस्ताव जारी करते हैं।
- 1.15 **पोस्टिंग:** आमतौर पर, एक रेलवे कर्मचारी को जोनल रेलवे या उत्पादन इकाई पर सेवा के दौरान नियोजित किया जाएगा, जिसमें वह पहली नियुक्ति पर तैनात है और किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं करेगा। हालांकि, एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की आकस्मिकता में रेल कर्मचारी को भारत में या भारत के बाहर एक परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है। जब तक नव नियुक्त उम्मीदवार कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता तब तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उचित देखभाल और विचार के साथ अपना आरआरबी चुनें।
- 1.16 एएलपी के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को जहां भी निर्धारित किया गया हो, प्रशिक्षण से गुजरना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल वजीफे का भुगतान किया जाएगा।
- 1.17 चयनित उम्मीदवारों को जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा और / या क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करना होगा।
- 1.18 चयनित उम्मीदवार जिन्हें अंतिम रूप से नियुक्त किया जाता है, वे प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर इकाई में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी हैं।
- 1.19 आरआरबी आरआरबी की चयन प्रक्रिया में पाए गए किसी भी अनजाने त्रुटि/टाइपोग्राफिकल गलती के मामले में परिणामों को रद्द करने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में पद, रेलवे में उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी। इसके अलावा, आरआरबी ऐसे उम्मीदवारों को चयन पैनल से हटाने और रेलवे से उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि पहले से ही नियुक्त किया गया है, तो वह रेलवे सेवा से हटाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 1.20 आरआरबी सीईएन के तहत भर्ती के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जैसा कि आवश्यक है और किसी भी स्तर पर लागू हो।**
- 1.21 आरआरबी उम्मीदवारों की सहमति से, इस भर्ती में प्राप्त अपने अंकों (अंक) को अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ अपनी भर्ती के लिए साझा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/इनकार का संकेत देना चाहिए।
- 1.22 **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम समय की किसी भी भीड़ से बचें।** अंतिम दिनों के दौरान भारी इंटरनेट या वेबसाइट ट्रैफ़िक की संभावना के कारण इस सावधानी की सिफारिश की जाती है।

उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन के आवेदन को जमा करने के तकनीकी मुद्दों से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

ईमेल: rrb.help@csc.gov.in

फोन: 0172-565-3333 और 9592001188

यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं हैं तो आरआरबी जिम्मेदार नहीं होंगे।

- 2.0 रिक्तियां:** इस सीईएन में पद के पैरामीटर (यानी, योग्यता, चिकित्सा मानक आदि) अनुलग्नक ए में हैं और आरआरबी के अनुसार और आरआरबी रिक्तियों के भीतर क्षेत्र अनुलग्नक बी में हैं। कृपया ध्यान दें कि ये रिक्तियां रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। (संशोधित रिक्ति तालिका तदनुसार प्रकाशित की जाएगी)
- 3.0 चिकित्सा फिटनेस के मानक:** डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट (परीक्षाओं) को पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेलवे सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा फिटनेस है। इस सीईएन के सहायक लोको पायलट के पद के लिए चिकित्सा आवश्यकताओं को नीचे उल्लिखित किया गया है:

चिकित्सा मानक	सामान्य स्वास्थ्य	दृष्टि मानक
ए-1	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	1) दूर की नज़र: 6/6, 6/6 बिना चश्मे के फॉगिंग टेस्ट के साथ (+2D स्वीकार नहीं करना चाहिए) 2) निकट दृष्टि: Sn: 0.6, 0.6 बिना चश्मे के और 3) कलर विज़न, बाइनोक्युलर विज़न, फील्ड ऑफ़ विज़न, नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न, वगैरह के टेस्ट पास करने होंगे।

नोट:

- (a) उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं और सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। विवरण के लिए, उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम के अध्याय 5 को पढ़ने की सलाह दी जाती है।, जिसे www.indianrailways.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट और पात्र हैं।
- (b) जिन उम्मीदवारों ने अपवर्तक त्रुटि को ठीक करने के लिए लोसिक सर्जरी या किसी अन्य सर्जिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, वे एएलपी के पद के लिए पात्र नहीं हैं। ऑनलाइन आवेदन में स्व-स्क्रीनिंग के लिए अंतर्निहित सत्यापन शामिल होगा। नेत्र विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित डाउनलोड करने योग्य चिकित्सा रिपोर्ट, सीबीएटी दिवस (अनुलग्नक VIII A और VIII B) पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रमाण पत्र केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब किसी भी केंद्र / राज्य सरकार के अस्पताल या मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी किया गया हो।

ये घोषणाएं परीक्षा पात्रता के लिए अंतिम हैं; उम्मीदवारों को अभी भी आईआरएमएम दिशानिर्देशों के अनुसार रेलवे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अंतिम चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

- (c) भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा मानक अलग-अलग हैं जैसा कि भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड के पैरा 534 में दिया गया है। जिसे www.indianrailways.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।
- (d) उम्मीदवारों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि एएलपी के पद में कड़े चिकित्सा मानक हैं। इसलिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी फिटनेस - दृष्टि के साथ-साथ शारीरिक/अन्य चिकित्सा मानकों दोनों के संदर्भ में - ऊपर बताए गए चिकित्सा मैनुअल में विस्तृत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार है।
- (e) इस पद के निर्धारित चिकित्सा फिटनेस / मानक में उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार की विफलता के मामले में, वह / वह इस पद के लिए पैनल के लिए विचार नहीं किया जाएगा और भी रेलवे द्वारा कोई वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
- (f) यदि कोई उम्मीदवार अपनी प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान पद के लिए आवश्यक चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे निर्धारित शर्तों के साथ निर्धारित शुल्क के भुगतान पर चिकित्सा अपील को प्राथमिकता देने का एक अंतिम और अंतिम अवसर दिया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने अनुमत समय के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प प्राप्त किया है, अपील में चिकित्सा परीक्षण का परिणाम अंतिम है और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी है। जिन उम्मीदवारों ने अनुमत समय के भीतर चिकित्सा अपील विकल्प का लाभ नहीं उठाया है, उनके प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा परिणाम पर ही विचार किया जाएगा।
- (g) कृपया पैरा 13.3 देखें: उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण चिकित्सा मानकों के संदर्भ में उनकी पात्रता/अपात्रता का आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए आवेदन के चरण में शुरू की गई स्व-स्क्रीनिंग प्रक्रिया के संबंध में।

4.0 राष्ट्रीयता/नागरिकता:

(a) एक उम्मीदवार या तो होना चाहिए:

- भारत का नागरिक, या
- नेपाल का नागरिक, या
- भूटान का एक विषय, या
- एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 01.01.1962 से पहले भारत आया था, या

(v) भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवास कर गया है।

(vi) बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

(b) एक उम्मीदवार जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र को दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विफल रहने पर उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

5.0 उम्र सीमा (01-07-2026 तक) : 18 से 30 वर्ष

5.1 नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों / समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा / अधिकतम ऊपरी आयु में छूट आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने के अधीन लागू होती है।

क्रम सं.	समुदाय/श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट	
1	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार	5 साल	
2	ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवार	3 साल	
3	पूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने सत्यापन के बाद छह महीने से अधिक की सेवा की है	भूतपूर्व सैनिक (यूआर और ईडब्ल्यूएस)	3 साल (उम्र से सेवा की लंबाई में कटौती के बाद)
		भूतपूर्व सैनिक (ओबीसी-एनसीएल)	6 साल (उम्र से सेवा की लंबाई में कटौती के बाद)
		भूतपूर्व सैनिक (एससी और एसटी)	8 साल (उम्र से सेवा की लंबाई में कटौती के बाद)
4	वे उम्मीदवार जो रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ समूह 'सी' और पूर्ववर्ती समूह 'डी' रेलवे कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं और साथ ही रेलवे में निरंतर या टूटे हुए कार्यकाल में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ विकल्प भी दे रहे हैं	यूआर और ईडब्ल्यूएस	40 वर्ष की आयु
		ओबीसी (एनसीएल)	43 वर्ष की आयु
		अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	45 वर्ष की आयु
5	उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम कर रहे हैं	प्रदान की गई सेवा की लंबाई तक या 5 साल, जो भी कम हो।	
6	महिला उम्मीदवार, जो विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं, लेकिन पुनर्विवाह नहीं कर रहे हैं।	यूआर और ईडब्ल्यूएस	35 वर्ष की आयु
		ओबीसी (एनसीएल)	38 वर्ष की आयु
		अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	40 वर्ष की आयु
7	कोर्स कम्प्लीड एक्ट अप्रेंटिस उस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई / कोर्स कम्प्लीड एक्ट अप्रेंटिसशिप है।	अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा किए गए अप्रेंटिस प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी।	
8	जो उम्मीदवार 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत कोर्स पूरा कर चुके हैं, एक्ट अप्रेंटिस बन गए हैं	यूआर और ईडब्ल्यूएस	35 वर्ष की आयु
		ओबीसी (एनसीएल)	38 वर्ष की आयु
		अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	40 वर्ष की आयु

5.2 उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तारीखों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियां सम्मिलित)

आयु वर्ग (वर्षों में)	जन्म तिथि की ऊपरी सीमा (पहले नहीं)			जन्म तिथि की निचली सीमा (बाद में नहीं)
	यूआर (अन्य पिछड़ा वर्ग- क्रमीलेअर शामिल हैं) और आर्थिक रूप से कमजोर	ओबीसी (एनसीएल)	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	सभी उम्मीदवार
18 – 30	02.07.1996	02.07.1993	02.07.1991	01.07.2008
i) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे उन छूटों में से अधिकतम मिलेगा जिसके लिए वह पात्र है (संचयी नहीं) । ii) यूआर रिक्तियों के खिलाफ आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी। iii) Ex SM कैडिडेट्स को उम्र में छूट ऊपर पैरा 5.1 में दी गई है।				

5.3 महत्वपूर्ण: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्म तिथि उनके मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी / 10 वीं कक्षा पास या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज की गई होनी चाहिए। जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए बाद में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि में किसी भी अंतर के कारण **उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।**

6.0 शैक्षिक योग्यता:

- आवश्यक योग्यताओं की सूची अनुलग्नक-ए में दी गई है।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों के पास पहले से ही मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान / विश्वविद्यालय से सीईएन में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक / तकनीकी योग्यता होनी चाहिए।
- जो लोग निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता की अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें आवेदन **नहीं करना चाहिए।**

नोट: शैक्षिक / तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे अनंतिम या नियमित प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की तिथि अधिसूचना की अंतिम तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा की घोषणा की तारीख के साथ समेकित अंक पत्र या प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ सभी सेमेस्टर/वर्षों की व्यक्तिगत मार्कशीट जमा की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी प्रमाण पत्र में तारीख की अनुपलब्धता के मामले में, डीवी के समय बोर्ड/विश्वविद्यालय से इस आशय के परिणाम की घोषणा की तारीख को दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7.0 परीक्षा शुल्क: उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

क्रम सं.	उम्मीदवारों की श्रेणियां/समुदाय	शुल्क
1	सभी उम्मीदवारों के लिए (क्रम संख्या 2 में नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर)। 500 रुपये के इस शुल्क में से 400 रुपये की राशि पहले चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क में विधिवत कटौती करके वापस कर दी जाएगी।	₹. 500/-
2	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए। (उम्मीदवारों को सावधानी: ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए) 250 रुपये का यह शुल्क पहले चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क में विधिवत कटौती करते हुए नियत समय में वापस कर दिया जाएगा।	₹. 250/-
नोट: केवल सीबीटी -1 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा।		

*ईबीसी श्रेणी के तहत रियायत का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) श्रेणी के तहत रियायत का दावा करने से पहले कृपया इस सीईएन के पैराग्राफ 7.3 को ध्यान से पढ़ें। रियायती शुल्क चाहने वाले उम्मीदवार के पास एक वैध दस्तावेज होना चाहिए - यानी ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक IV) या बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी या मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई भी प्रमाण पत्र - आवेदन भरने के समय। उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रासंगिक विवरण दर्ज करना होगा और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय इसे मूल रूप में जमा करना होगा।

ईबीसी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक IV), बीपीएल कार्ड, या इज्जत एमएसटी या आवेदन की अंतिम तिथि यानी 14.06.2026 के बाद जारी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस CEN के लिए एप्लीकेशन की आखिरी तारीख को या उससे पहले जारी किया गया वैलिड डॉक्यूमेंट - यानी EBC सर्टिफिकेट (Annexure IV), BPL कार्ड, या इज्जत MST नहीं दिखा पाते हैं, उनका कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकता है।

7.1 शुल्क भुगतान के तरीके:

- इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से केवल ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों द्वारा केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।

निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस तरह की अस्वीकृति के खिलाफ किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल होंगे, जिन्हें उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, जहां उम्मीदवार संबंधित है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त संशोधन/हटाने/शामिल करने के अधीन।

'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए हलफनामा: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को अनुलग्नक V के प्रारूप में डीवी के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है।

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है और रियायती शुल्क (पैरा 7.0 के अनुसार) के लिए पात्र हैं। इसके लिए उनके पास होना चाहिए

- जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटलेटर हेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक IV में) में आवेदन की तारीख पर वैध आय प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण अधिकृत हैं:
 - तहसीलदार स्तर तक जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य राजस्व अधिकारी
 - अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोक सभा के वर्तमान सदस्य
 - राज्य सभा के मौजूदा सांसद, उस जिले के लोगों के लिए जहां ये MP आमतौर पर रहते हैं।
 - देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केंद्रीय मंत्री।

(या)

- बीपीएल कार्ड या मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र

या

- रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी।

सभी ईबीसी उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र / बीपीएल कार्ड / इज्जत एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरना चाहिए और इसे डीवी के समय मूल रूप में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार की जा सकती है।

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं, और ईबीसी को ओबीसी के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ईबीसी उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायत के हकदार हैं और नौकरी आरक्षण के लिए नहीं।

7.4 परीक्षा शुल्क की वापसी (प्रथम चरण सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए):

- एग्जामिनेशन फीस का रिफंड (जहां भी लागू हो, बैंक चार्ज काटकर) सिर्फ कैंडिडेट के आधार नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान, कैंडिडेट को अपना आधार नंबर वैलिडेट करना होगा। सफल वैलिडेशन के बाद, आधार से पहले से लिंक बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन के लिए अपने आप दिखाई देगा, जिसका इस्तेमाल रिफंड के लिए किया जाएगा। अगर कोई बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता है, तो कैंडिडेट को रियल-टाइम आधार-बैंक अकाउंट लिंकिंग के लिए NPCI पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा और उसके बाद, प्रोसेस पूरा करने के लिए एप्लीकेशन पेज पर वापस भेज दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट का बैंक अकाउंट नहीं है, वे ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार, परिवार के किसी सदस्य का आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट दे सकते हैं।
- उन उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क जिनका आवेदन अधूरा है या जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है या जिसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, वापस नहीं किया जाएगा।
- एक वैध और परिचालन आधार-सीडेड बैंक खाते को जोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उम्मीदवार की होती है। आरआरबी गलत, अमान्य या गैर-परिचालन बैंक खाता लिंकेज से उत्पन्न होने वाले किसी भी पत्राचार या दावों पर विचार नहीं करेगा।
- अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या कैंडिडेट का आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट नॉन-ऑपरेशनल पाया जाता है, तो एग्जामिनेशन फीस रिफंड नहीं की जाएगी।

8.0 लंबवत आरक्षण:

- इस सीईएन में आथक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) (ओबीसी-एनसीएल) के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण का प्रावधान है, जहां कहीं भी लागू और स्वीकार्य है, और जैसा

कि मौजूदा नियमों के तहत इंडेंटिंग रेलवे द्वारा सूचित किया गया है। (अनुपत्र ख की रिक्ति तालिका में ब्यौरा देखिए। केवल वे समुदाय जो भारत सरकार द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, आरक्षण के लिए पात्र हैं।

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं। ईबीसी उम्मीदवार किसी भी नौकरी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

- 8.2 सभी उम्मीदवारों, समुदाय के बावजूद, सामान्य यानी, अनारक्षित (यूआर) रिक्तियों (यूआर के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन) के खिलाफ विचार किया जाएगा। तथापि, विशिष्ट समूहों [अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक दुर्बल वर्ग] के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उसी समुदाय/श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी।
- 8.3 इसलिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जो अपेक्षित शैक्षिक और तकनीकी योग्यता को पूरा करते हैं, वे यूआर रिक्तियों के खिलाफ भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें परीक्षा के किसी भी चरण (सीबीटी-1/सीबीटी-11) में आयु, योग्यता या अंक आदि में किसी भी छूट / रियायत के बिना सामान्य (यूआर) उम्मीदवारों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। किसी भी मामले में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय को इंगित करें।
- 8.4 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय मूल रूप में नवीनतम और वैध प्रमाण पत्र (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर) प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा (ए) अनुलग्नक -I (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए), (बी) अनुलग्नक-11 (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और (सी) अनुलग्नक-111 (ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में: दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, आवेदन पत्र में उल्लिखित एसटी/ओबीसी-एनसीएल के रूप में अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डब्ल्यूपी© 1052/2021 सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के बीच, दिनांक 21.02.2022 के फैसले के आलोक में, उम्मीदवार जो (ए) मूल रूप से लोहार/लोहार/लोहरा जाति से संबंधित हैं, और (बी) बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से केवल अन्य राज्यों में चले गए हैं, अनुसूचित जनजाति का दावा करने के लिए बिहार सरकार के अनुलग्नक -I के अनुसार अपनी नवीनतम जाति (जो बिहार सरकार के फॉर्म -11 के पीछे संदर्भ के साथ सीईएन के अनुलग्नक -I के अनुसार है) या (बी) ओबीसी-एनसीएल का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म - VIIA के पीछे के संदर्भ के साथ सीईएन के अनुलग्नक -11 के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए, जो केवल 01.04.2023 के बाद जारी किया गया है और यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर भी वैध होना चाहिए,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में: डॉ. भीमराव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य और अन्य के बीच 2017 की सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 18802, दिनांक 15.07.2024 के निर्णय के आलोक में, जिन उम्मीदवारों के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले जारी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति का समुदाय प्रमाण पत्र है और (ए) मूल रूप से पैन/पीएनआर/सवासी/तांती-तत्वा (तांती-तंतवा) से संबंधित हैं। मूल रूप से जाति, और (बी) बिहार राज्य से संबंधित है या प्रवासी है

बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से केवल अन्य राज्यों में अपने समुदाय और जाति को विधिवत संशोधित/जोड़ते हुए 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किए गए नवीनतम जाति प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करना चाहिए। उनके समुदाय और जाति/जनजातियों को उनकी संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार भर्ती के लिए माना जाएगा, इन उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से नया जाति प्रमाण पत्र लाना होगा जो दस्तावेज़ सत्यापन के समय 01.09.2024 को या उसके बाद लिया गया है, अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी के खिलाफ माना जाएगा।

- 8.5 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नवीनतम सूची में उल्लिखित ओबीसी जातियों को ओबीसी आरक्षण का दावा करने का आधार बनाया जाएगा। ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि "यह यह प्रमाणित करने के लिए भी है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। (ख) दिनांक 08/09/93 के तहत संशोधित किया गया है और भारत सरकार के डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था। (Res.) दिनांक 13/09/2017*" (*आगे संशोधन, यदि कोई हो, इस सीईएन के खिलाफ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त हुआ)।
- 8.6 "ओबीसी श्रेणी" के तहत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक 11) में ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो 01 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद जारी किया गया था, लेकिन इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद नहीं। प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तारीख और प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की जानी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवार की जाति को ओबीसी (<http://www.ncbc.nic.in>) की वर्तमान अद्यतन केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के दौरान, आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और अनुलग्नक 11A में दिए गए प्रारूप में एक स्व-घोषणा भी प्रदान करनी होगी, जिसमें कहा गया है कि वे "आवेदन की अंतिम तिथि पर क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आरक्षण के लिए उनका दावा (ओबीसी-एनसीएल के रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उन्हें अनारक्षित (यूआर) उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है, जो यूआर उम्मीदवारों के लिए लागू आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन हैं।
- 8.7 **महत्वपूर्ण:** इस सीईएन के खिलाफ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर **समुदाय/श्रेणी की स्थिति पर** केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। इसके बाद इस स्थिति में किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र में दर्शाए गए समुदाय (उप-जाति) / श्रेणी से संबंधित हैं

और दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान सक्षम प्राधिकारी से एक वैध प्रमाण पत्र प्रदान करके इस दावे को प्रमाणित करना चाहिए।

8.8 उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि किसी भी स्तर पर एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस स्थिति का कोई धोखाधड़ी दावा या किसी अन्य लाभ का दुरुपयोग सामने आता है तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह की कार्रवाइयों से सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से स्थायी प्रतिबंध लग जाएगा और कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।

8.9 EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण:

जो उम्मीदवार एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के लिए आरक्षण की योजना के तहत कवर नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है। आय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। इस CEN 01/2026 के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 होगा क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 14.06.2026 है। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा, चाहे पारिवारिक आय कुछ भी हो:

i. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक;

ii. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय प्लैट;

iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक परिवार द्वारा रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे। ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक-III में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकरण द्वारा जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र को केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

a) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त

b) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

c) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं

d) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के खिलाफ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख, जारी करने वाले प्राधिकारी, जिला और जारी करने की स्थिति भरनी होगी। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उनकी आय और संपत्ति के आधार पर) प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के तहत माना जाएगा।

9.0 क्षैतिज आरक्षण:

9.1 इस सीईएन में भूतपूर्व सैनिकों (एक्सएसएम) के लिए क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान है, चाहे उनका सामाजिक समुदाय कुछ भी हो।

9.2 रिक्ति तालिका (अनुलग्नक-बी) में दिखाई गई कुल रिक्तियों में एक्सएसएम के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, अर्थात्, रिक्ति तालिका में जहां भी दी गई एक्सएसएम के लिए रिक्तियां अलग नहीं हैं, लेकिन वे रिक्तियों की कुल संख्या में शामिल हैं।

9.3 EXSM उम्मीदवार पद की अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं। वे इस अनारक्षित पद के लिए आवेदन करते समय आयु में छूट और शुल्क छूट के लिए भी पात्र होंगे।

10.0 भूतपूर्व सैनिक:

भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ है एक ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (चाहे लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) में सेवा की है, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना और अर्धसैनिक बलों में सेवा की है

तथा

a) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या ऐसी सेवा से मुक्त हो गया है या छुट्टी दे दी गई है, चाहे वह अपने स्वयं के अनुरोध पर हो या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद राहत दी जा रही हो; या)

b) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; (या)

c) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से किसे मुक्त किया गया है; (या)

d) जिसे तय समय पूरा करने के बाद, अपनी मर्जी से, या नौकरी से निकाले जाने, या गलत काम या काम न करने की वजह से

नौकरी से निकाला गया हो और जिसे ग्रेजुटी दी गई हो; और इसमें टेरिटोरियल आर्मी के लोग शामिल हैं, यानी लगातार सेवा या क्वालिफाइंग सर्विस के कुछ हिस्सों के लिए पेंशन होल्डर; (या) सेना डाक सेवा के ऐसे कर्मियों जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन किए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त कर दिए जाते हैं और उन्हें चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की जाती है; (या)

(e) आर्मी पोस्टल सर्विस के वे लोग जो रेगुलर आर्मी का हिस्सा हैं और आर्मी पोस्टल सर्विस से रिटायर हो गए हैं और अपनी मूल सर्विस में पेंशन के साथ वापस नहीं आए हैं, या जिन्हें मेडिकल ग्राउंड पर आर्मी पोस्टल सर्विस से निकाला गया है, जो मिलिट्री सर्विस या उनके कंट्रोल से बाहर के हालात की वजह से हुआ है या बिगड़ गया है और जिन्हें मेडिकल या दूसरी डिसेबिलिटी पेंशन मिली है; (या)

f) वे कर्मियों जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; (या)

g) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (या)

h) एक्स-रिक्त जिन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बोर्ड आउट या रिलीव किया गया और जिन्हें 01.02.2006 से मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन दी गई।

10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्ति पर भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आएं, नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठाने के पात्र हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते। तदनुसार, इस सीईएन के तहत आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर रिहा किए जाने वाले ऐसे सेवारत रक्षा कर्मी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित नहीं पदों दोनों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यदि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो उम्मीदवार को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत केवल इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने इस सीईएन के खिलाफ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के बाद खुद को सशस्त्र बलों से रिहा कर दिया है, अर्थात् उस पर विचार किया जा सकता है, दस्तावेज सत्यापन की तारीख तक, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है। तथापि, उनके पास इस सीईएन के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए।

10.3 सशस्त्र सेवा के कार्मिक जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, उन्हें अनुबंध VIIA के अनुसार "सेवा से छुट्टी की संभावित तिथि के साथ रोजगार प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य है। इसके अलावा, दस्तावेज सत्यापन के समय सभी द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए अनुलग्नक VIIIB के अनुसार उपक्रम की स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी है।

10.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद समूह 'सी' और पूर्ववर्ती समूह 'डी' (सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में केंद्र सरकार के तहत पहले से ही केंद्र सरकार के तहत सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केवल आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार के तहत समूह 'सी'/पूर्ववर्ती समूह 'डी' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ नहीं माना जाएगा।

10.5 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, इस शर्त के अधीन कि जैसे ही वह किसी भी नागरिक रोजगार में शामिल होता है, उस भूतपूर्व सैनिक को इस सीईएन के खिलाफ आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को एक स्व-घोषणा/वचन देना चाहिए, जिसके लिए उसने प्रारंभिक नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया है। सिविल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुलग्नक-VIIIB के अनुसार स्व-घोषणा के साथ इस घोषणा की स्वीकृत प्रति डीवी के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती पर भरी जाती हैं और जहां भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

10.6 भूतपूर्व सैनिक का चिकित्सा मानक भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड 1 के पैरा 534 के अनुसार होगा, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

11.0 वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी):

रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी स्वायत्त निकाय या अन्य सरकारी संस्थाओं सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा से गुजरने वाले उम्मीदवारों सहित) अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे आरआरबी को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी की तारीख पर नियोक्ता से एनओसी प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वह दस्तावेज सत्यापन/पैनल/नियुक्ति के दौरान निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करे, ऐसा न करने पर उसकी उम्मीदवारी/पैनल/नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा।

नोट: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि संबंधित आरआरबी द्वारा उनके नियोक्ता से एक संचार प्राप्त होता है, तो परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में उपस्थित होने / दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को या पैनल / नियुक्ति के समय अनुमति नहीं दी जाती है, तो उनके आवेदन/उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।/रद्द कर दिया जाएगा।

12.0 भर्ती प्रक्रिया:

- (a) एक उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है, और केवल एक ऑनलाइन आवेदन भाग लेने वाले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों में से किसी एक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है, जैसा कि पैरा 13.(j) में उल्लेख किया गया है। एक आरआरबी या कई आरआरबी के लिए कई आवेदनों के कारण सभी आवेदन खारिज हो जाएंगे और भविष्य के सीईएन के लिए आरआरबी/आरआरसी में आवेदन करने पर रोक लगा दी जाएगी।
- (b) भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:
- प्रथम चरण सीबीटी (सीबीटी-1)
 - दूसरा चरण सीबीटी (सीबीटी-2)
 - कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी)
 - दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और
 - चिकित्सा परीक्षा (एमई)
- (c) परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से उचित समय पर दी जाएगी।
- (d) किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और शिफ्ट में परिवर्तन के लिए किसी भी परिस्थिति में अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.1 प्रथम चरण सीबीटी (सीबीटी-1):

- (a) सीबीटी -1 केवल उनके सामान्य अंकों और योग्यता के आधार पर सीबीटी -2 के लिए पात्र उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग सीबीटी -1 में उनकी योग्यता के आधार पर उन उम्मीदवारों के बीच होगी जिन्होंने केवल एक ही आरआरबी को चुना है।
- (b) अंतिम पैनल तैयार करते समय सीबीटी-1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी।
- (c) **सीबीटी-1 का पैटर्न और पाठ्यक्रम:**
- अवधि: 60 मिनट
 - प्रश्नों की संख्या: 75, अधिकतम अंक: 75 (@ 1 अंक प्रति प्रश्न)
 - प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन @ 1/3 अंक होंगे।
 - कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।
 - पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत: यूआर और ईडब्ल्यूएस - 40%, ओबीसी (एनसीएल) - 30%, एससी - 30%, एसटी - 25%। यह उनके समुदाय के अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों पर भी लागू होता है।
 - सीबीटी-1 के लिए प्रश्नों का मानक सामान्यतः शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा और/या पद के लिए निर्धारित न्यूनतम तकनीकी योग्यता।
- विकल्प उत्तर और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है:
- (A) **गणित:** संख्या प्रणाली, बीओडीएमएस, दशमलव, अंश, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य; समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि।
- (B) **मानसिक क्षमता:** सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, न्यायवाक्य, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेने, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशा-निर्देश, कथन - तर्क और धारणाएं आदि।
- (C) **सामान्य विज्ञान:** इसके तहत पाठ्यक्रम 10 वीं कक्षा के स्तर के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान को कवर करेगा।

12.2 दूसरा चरण सीबीटी (सीबीटी-2):

- (a) सीबीटी-2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग आरआरबी-वार और समुदाय-वार सीबीटी-1 में उनके सामान्यीकृत अंकों और योग्यता के अनुसार उन उम्मीदवारों के बीच की जाएगी, जिन्होंने केवल एक ही आरआरबी को चुना है।
- (b) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवारों को यूआर श्रेणी के खिलाफ सीबीटी-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें आयु, योग्यता या अंक आदि में किसी भी छूट/रियायत का लाभ नहीं उठाया गया हो।
- (c) जिन उम्मीदवारों को एक समुदाय/श्रेणी (भूतपूर्व सैनिक/ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण लाभों का लाभ उठाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के बाद के सभी चरणों (सीबीटी-2/सीबीएटी/डीवी) के लिए केवल उस समुदाय/श्रेणी के खिलाफ विचार किया जाएगा।
- (d) सीबीटी -2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक आरआरबी के खिलाफ अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के 15 (पंद्रह) गुना तक सीमित होगी।
- (e) हालांकि, रेलवे अधिसूचित पद के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार उपरोक्त सीमा को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (f) **सीबीटी-2 का पैटर्न और पाठ्यक्रम:**
- सीबीटी-2 में दो भाग होंगे, भाग - ए और भाग- बी, जैसा कि नीचे दिया गया है।
 - कुल अवधि: 2 घंटे 30 मिनट और कुल प्रश्न: 175
 - भाग-ए: 90 मिनट और 100 प्रश्न
 - भाग-बी: 60 मिनट और 75 प्रश्न
 - प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन @ 1/3 अंक होंगे।

- (iv) कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।
- (vii) **भाग-A में**, पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत यूआर और ईडब्ल्यूएस - 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) - 30%, अनुसूचित जाति - 30%, अनुसूचित जनजाति - 25% यह उनके समुदाय के अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों पर भी लागू होता है।
- (v) **इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए केवल भाग-ए में प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी, बशर्ते कि समुदाय के बावजूद उम्मीदवार भाग-बी में योग्यता अंक (35%) प्राप्त करने में सक्षम हो।**

(g) भाग-A के लिए पाठ्यक्रम:

- (A) **गणित:** संख्या प्रणाली, बीओडीएमएस, दशमलव, अंश, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य; समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि।
- (B) **जनरल इंटेलेजेंस एंड रीजनिंग:** एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सपर्फिंसी, निष्कर्ष और निर्णय लेने, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, स्टेटमेंट - तर्क और धारणाएं आदि।
- (C) **बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग:** इसके तहत कवर किए गए व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग (प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रुमेंट्स, लाइन्स, ज्यामितीय आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व), यूनिट, माप, मास वेट और डेंसिटी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान, बुनियादी बिजली, लीवर और सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, आईटी साक्षरता आदि होंगे।

(ii) भाग-बी के लिए पाठ्यक्रम:

- (A) भाग-बी प्रकृति में केवल एक योग्यता परीक्षा है और इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा निर्धारित विभिन्न व्यापार पाठ्यक्रम से प्रश्न होंगे।
- (B) **नोट:** योग्यता प्रतिशत - **सभी उम्मीदवारों के लिए 35% चाहे वह किसी भी श्रेणी / समुदाय का हो।**
- (C) **विभिन्न ट्रेडों का पाठ्यक्रम:** कृपया वेबसाइट (<https://dgt.gov.in>) देखें। विभिन्न तकनीकी ट्रेडों के पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (जीओआई) के एक पत्र का गठन किया गया है।
- (D) आईटीआई / ट्रेड अप्रेंटिसशिप योग्यता वाले उम्मीदवारों को अपने ट्रेड से प्रश्न वाले अनुभाग में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी।
- (E) डिग्री, डिप्लोमा उम्मीदवारों को अपने इंजीनियरिंग अनुशासन के खिलाफ नीचे सूचीबद्ध ट्रेडों की सूची में से एक ट्रेड का चयन करना होगा।

सीबीटी-2 का पार्ट बी (कालिफाइंग टेस्ट) ट्रेड्स/सब्जेक्ट का कालिफिकेशन-वाइज ग्रुपिंग		
क्रम संख्या	उम्मीदवार की योग्यता	भाग-ख के लिए ट्रेड/पसंद का विषय
1	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल की विभिन्न धाराओं का संयोजन अभियांत्रिकी	इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मचर और कॉइल वाइन्डर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक
2	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की विभिन्न धाराओं का संयोजन अभियांत्रिकी	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक (रेडियो और टीवी)
3	मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन	फिटर, मैकेनिक (मोटर वाहन), ट्रेक्टर मैकेनिक, मैकेनिक (डीजल), टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, मिलराइट/रखरखाव मैकेनिक
4	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और विभिन्न धाराओं का संयोजन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग	मैकेनिक (मोटर वाहन), ट्रेक्टर मैकेनिक, मैकेनिक (डीजल), रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग क्रियाविधि

12.3 कंप्यूटर आधारित एप्रीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी):

- (a) प्रत्येक अधिसूचित समुदाय / श्रेणी के लिए एएलपी रिक्तियों की संख्या के 8 (आठ) गुना के बराबर उम्मीदवार, यूआर (ओबीसी-सीएल), ओबीसी (एनसीएल), एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस (एक्सएसएम सहित), सीबीटी -2 के **भाग-ए में उनके अंकों के आधार पर** सीबीएटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिन्होंने केवल आरक्षण नियमों के आवेदन के साथ एक ही आरआरबी को चुना है, बशर्ते वे सीबीटी-2 के भाग-बी में अर्हता प्राप्त करें। यदि एक से अधिक उम्मीदवार कट-ऑफ पॉइंट के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो उन सभी को सीबीएटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- (b) ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सीबीएटी के दौरान निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक- VIII A और VIII b के अनुसार) में अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन रिपोर्ट मूल रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (c) अर्हता प्राप्त करने के लिए **CBAT की प्रत्येक टेस्ट बैटरी/सेक्शन को अलग-अलग क्लियर करना अनिवार्य है।**

- (d) सीबीएटी केवल अंग्रेजी और हिंदी में होगा और कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।
- (e) सीबीएटी के बारे में जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरडीएसओ के निम्नलिखित वेबसाइट लिंक देखें –
- (i) rdso.indianrailways.gov.in -> **वर्टिकल** -> **ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी** -> **साइकोलॉजी-कैंडिडेट कॉर्नर**, तथा
- (ii) https://rdso.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&Gid=0,2,456,5821,611G
- (f) क्वालिफ़ाई करने वाले मार्क्स: सभी कैंडिडेट्स (चाहे वे किसी भी कम्युनिटी के हों) को CBAAT में क्वालिफ़ाई करने के लिए हर टेस्ट बैटरी में अलग-अलग कम से कम 42 मार्क्स का T-स्कोर लाना होगा।

12.4 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):

- (a) मेरिट सूची सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से ही आरआरबी-वार तैयार की जाएगी। सीबीटी-2 के भाग-ए में प्राप्त अंकों और सीबीएटी में प्राप्त अंकों को 50:50 के अनुपात में वेटेज दिया जाएगा। सीबीटी-2 (50 प्रतिशत वेटेज) और सीबीएटी स्कोर (50 प्रतिशत वेटेज) के भाग-ए से प्राप्त संयुक्त योग्यता के आधार पर और जोन और पदों के लिए उम्मीदवारों की वरीयताओं को ध्यान में रखते हुए, रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- (b) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता की स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी, अर्थात्, पुराने उम्मीदवार को छोटे उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्यता दी जाएगी और यदि आयु समान है, तो दिए गए नाम (उपनाम नहीं) के वर्णमाला क्रम (ए से जेड) को टाई तोड़ने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- (c) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जाने वाली अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण करने और सभी आवश्यक दस्तावेजों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त / चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- (d) भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर, आरआरबी पात्र उम्मीदवारों के विकल्प के अनुसार रेलवे जोन / उत्पादन इकाई आवंटित करेगा, जो योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्ति की स्थिति के अधीन है। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और पसंद के अनुसार पैनल में शामिल कर लिए जाने के बाद, वे अगली प्राथमिकता क्षेत्र/इकाई में अपनी वरीयता के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देंगे। हालांकि, आरआरबी रेलवे जोन/यूनिट का भी अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिसे उम्मीदवार द्वारा चुना नहीं जाता है, यदि प्रशासनिक हित में विचार किया जाता है, तो उम्मीदवारों की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन।
- (e) पैनल में किसी भी कमी या अन्य आपात स्थिति के मामले में, आरआरबी ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्पों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो मेरिट सूची में उम्मीदवारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हालांकि, यह ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करेगा।
- (f) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि आरआरबी केवल संबंधित रेलवे जोन को सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करते हैं। नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित रेलवे जोनों द्वारा जारी किया जाता है।
- (g) दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और सत्यापन की तारीख को अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी जब्त कर ली जाएगी।

13.0 आवेदन कैसे करें:

13.1 गलतियों को रोकने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए

13.2 एक खाता बनाएं

13.2.1 आरआरबी के साथ एक खाता बनाएं:

- उम्मीदवार को पहले नीचे पैरा 13.7 में सूचीबद्ध आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करके इस सीईएन के लिए एक खाता बनाना होगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले से ही पिछले आरआरबी सीईएन के लिए एक खाता बना लिया है, उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए, साथ ही आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करना चाहिए।
- खाता निर्माण के दौरान आवश्यक ओटीपी प्राप्त करने के लिए एक वैध व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और सक्रिय ईमेल आईडी अनिवार्य है।
- बाद में "खाता बनाएं" फॉर्म में दर्ज किए गए विवरण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल है।
- इसलिए, उम्मीदवारों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे सभी जानकारी सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से दर्ज करें, क्योंकि खाता निर्माण के बाद किसी भी सुधार या संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.2.2 पहचान प्रमाणीकरण सलाह

- उम्मीदवारों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में, "खाता बनाएं" प्रक्रिया के दौरान डिजिलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें।
- ऐसा करने से भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक सहज और तेज़ सत्यापन की सुविधा होगी।
- कृपया ध्यान दें कि जो आवेदक वैकल्पिक फोटो आईडी के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करना चुनते हैं, उन्हें भर्ती के हर चरण में

काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच के अधीन किया जाएगा।

13.3 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- उम्मीदवारों को इस सीईएन के खिलाफ आवेदन करने के लिए केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करना चाहिए। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
- उम्मीदवारों को सही जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और जमा करने से पहले फिर से जांच करनी होगी।
- आवेदक आवेदन जमा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएगा। **(सिवाय अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर आवेदन संशोधन विंडो के दौरान)**
- उम्मीदवार को वास्तविक आवेदन पत्र से पहले स्व-घोषणा प्रश्नावली भरनी चाहिए और भाषण, श्रवण, दृष्टि (कोई लेसिक सर्जरी सहित), मानसिक फिटनेस, पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों (जैसे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप) और साइकोएक्टिव पदार्थों के उपयोग से संबंधित न्यूनतम निर्धारित शारीरिक और मानसिक फिटनेस मानकों के अनुरूप घोषित करना चाहिए।
- परीक्षा का माध्यम: सीबीटी के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (जैसे, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी एक में से परीक्षा के अपने माध्यम का चयन करना होगा। सीबीटी के प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे। आवेदन चरण में एक बार चुने जाने के बाद भाषा विकल्प में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- चुने गए आरआरबी के तहत जोन वरीयताओं का क्रम: उम्मीदवार को अधिसूचित पदों के लिए जोन / रेलवे इकाई वरीयता का क्रम प्रदान करना होगा।
- अलग-अलग आरआरबी या एक ही आरआरबी के लिए कई आवेदनों से सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस सीईएन के एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया से अयोग्यता और प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार को पैरा 7.1 में बताए गए परीक्षा शुल्क के भुगतान के तरीके का चयन करने और भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण: कृपया भुगतान के तरीके की वास्तविकता के साथ-साथ इस सीईएन के खिलाफ प्रस्तुत आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान के भुगतान की अंतिम तिथि के बारे में सावधान रहें। भुगतान करते समय अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।

- अंत में, शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।
- आवेदन के चरण में स्व-स्क्रीनिंग चिकित्सा घोषणा पेश की गई है जिसमें उम्मीदवार को भाषण सुनवाई, दृष्टि (कोई लेसिक सर्जरी सहित), मानसिक फिटनेस, पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों (जैसे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप), और साइकोएक्टिव पदार्थों के उपयोग से संबंधित न्यूनतम निर्धारित शारीरिक और मानसिक फिटनेस मानकों के अनुरूप घोषित करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में स्व-स्क्रीनिंग के लिए अंतर्निहित सत्यापन शामिल होगा ताकि उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करने के लिए अपनी पात्रता/अयोग्यता का आकलन कर सकें। प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं के आधार पर, एक डाउनलोड करने योग्य मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे उम्मीदवार द्वारा सीबीटी दिवस पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसे सामान्य चिकित्सक और नेत्र विशेषज्ञ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। प्रमाण पत्र केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब किसी भी केंद्र / राज्य सरकार के अस्पताल या मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी किया गया हो।

13.4 आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो कैप्चरिंग

आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव तस्वीर लेने के निर्देश:

- आवेदन करते समय उम्मीदवारों को पहले से मौजूद फोटोग्राफ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
 - एप्लीकेशन मॉड्यूल को एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट की लाइव फोटो खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लाइव फोटो को वेब कैम या मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा (स्क्रीन साइड कैमरा) द्वारा कैप्चर किया जा सकता है।
 - लाइव फोटो वेब कैम या मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा (स्क्रीन साइड कैमरा) से ली जा सकती है।
 - अपने आप को गैर-सफेद कपड़े पहनना सुनिश्चित करें, अधिमानतः गहरे रंगों में, पृष्ठभूमि के साथ कंट्रास्ट बनाए रखने के लिए
 - इस प्रयोजन के लिए, उम्मीदवार को एप्लीकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए और नीचे दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए:
- सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करने से पहले कैमरा आंखों के स्तर पर स्थित है।
 - अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और तटस्थ अभिव्यक्ति के साथ सीधे आगे देखें।
 - सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और एप्लीकेशन मॉड्यूल द्वारा दिखाए गए फ्रेम के भीतर केंद्रित है।

- सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा न तो कैमरे के बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है, और सिर या चेहरे का कोई भी हिस्सा चित्रित फ्रेम के बाहर नहीं है।
- फोटो खींचते समय टोपी, मास्क या चश्मा/चश्मा न पहनें।
- उम्मीदवार अपनी कैमरा की गई तस्वीर का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और यदि वे छवि से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसे फिर से ले सकते हैं, जब तक कि उनका आवेदन जमा नहीं हो जाता है
- तस्वीरों वाले आवेदन जो इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की उपस्थिति आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई तस्वीर से मेल खानी चाहिए।
- कैमरा की गई लाइव तस्वीर कुछ सत्यापन और मिलान के अधीन है। यदि मेल नहीं खाता है, तो उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन से अनुलग्नक-IX (उपयुक्त घोषणाओं की पुष्टि करने के बाद) डाउनलोड करना होगा, और इसे अपलोड करने की आवश्यकता है, पहचान के वैध प्रमाण के रूप में श्रेणी-1 राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेख:

- उम्मीदवारों को मुद्रित या डिजिटल पहले से मौजूद तस्वीर लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई भी आवेदन जहां ऐसा एक छवि सबमिट की जाती है जिसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

13.5 ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करने के लिए अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेजों को तैयार रखा जाना चाहिए।

निम्नलिखित को अपलोड करने की आवश्यकता है

- 1) इस सीईएन के पैरा 13.5.1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में उम्मीदवार के हस्ताक्षर।
- 2) एससी / एसटी प्रमाण पत्र (मुफ्त ट्रेन यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) सीईएन में दिए गए विनिर्देश के अनुसार पीडीएफ प्रारूप में।

13.5.1 उम्मीदवार के हस्ताक्षर: कैंडिडेट को नीचे दिए गए स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार अपने हस्ताक्षर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी:

- हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार द्वारा लिखा जाना चाहिए।
- सफेद कागज पर काली स्याही वाली पेन का इस्तेमाल करें।
- हस्ताक्षर रनिंग हैंडराइटिंग (यानी, कर्सिव/जुड़े हुए अक्षर) में होना चाहिए, बड़े, कैपिटल या अलग-अलग अक्षरों में नहीं। सिग्रेचर साफ़, पढ़ने लायक और स्कैन किए गए एरिया में पूरी तरह से दिखने वाला होना चाहिए।

हस्ताक्षर के लिए विनिर्देश:

- 100 डीपीआई के न्यूनतम रिज़ॉल्यूशन का उपयोग करके हस्ताक्षरित कागज को स्कैन करें।
- छवि फ़ाइल स्वरूप: केवल JPG/JPEG
- फ़ाइल का आकार: 30 KB और 49 KB के बीच
छवि आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊंचाई)
- स्कैन किए गए हस्ताक्षर को आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट स्कैन बॉक्स के भीतर रखा जाना चाहिए: बॉक्स का आकार: 35 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊंचाई)। हस्ताक्षर छवि इस बॉक्स के भीतर केंद्रित होनी चाहिए।

हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन आवेदनों को अस्वीकार करने के आधार:

ऑनलाइन आवेदन और सीईएन के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी निम्नलिखित हस्ताक्षर से संबंधित आधारों पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी:

- एक गैर-सफेद पृष्ठभूमि का उपयोग
- हस्ताक्षर के लिए गैर-काली स्याही का उपयोग
- हस्तलेखन चलाने के बजाय ब्लॉक या बड़े अक्षरों में लिखा गया हस्ताक्षर
- खराब रिज़ॉल्यूशन या अस्पष्ट हस्ताक्षर छवि
- अपूर्ण या आंशिक रूप से दिखाई देने वाले हस्ताक्षर
- हस्ताक्षर के अलावा कोई अन्य छवि अपलोड करना
- कोई हस्ताक्षर नहीं (रिक्त)
- हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान
- आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी हस्ताक्षर छवि किसी भी तरह से भर्ती के किसी चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है।

महत्वपूर्ण: एप्लिकेशन पर हस्ताक्षर निम्नलिखित के दौरान कैप्चर किए गए हस्ताक्षरों से मेल खाना चाहिए:

- परीक्षाएं
- दस्तावेज़ सत्यापन (DV)
- चिकित्सा परीक्षा (एमई)
- नियुक्ति

13.5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (मुफ्त ट्रेन यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार जो मुफ्त रेलवे यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित विनिर्देशों के साथ अपने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी:

- दस्तावेज़ केवल पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए।
- फ़ाइल का आकार 400 KB से कम होना चाहिए।
- प्रमाणपत्र सुपाठ्य, स्पष्ट और आसानी से पठनीय होना चाहिए।
- यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार नवीनतम और वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए।

13.6 उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सामान्य सेवा केंद्र की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का एक हिस्सा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तर पर एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा प्रबंधित की जाती है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने और ई-वॉलेट के माध्यम से शुल्क के भुगतान में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। सामान्य सेवा केंद्र की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.csc.gov.in. निकटतम सामान्य सेवा केंद्र जानने के लिए, कृपया लिंक खोलें - Find My CSC (<https://findmycsc.nic.in/csc/>)

13.7 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अलग-अलग स्टेज या इस नोटिफिकेशन में किसी भी बदलाव के बारे में असली जानकारी और रेगुलर अपडेट के लिए आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट्स को रेगुलर देखते रहें।

सीईएन 01/2026 में भाग लेने वाले आरआरबी की वेबसाइटें

अहमदाबाद www.rrbahmedabad.gov.in	अजमेर www.rrbajmer.gov.in	भोपाल www.rrbhopal.gov.in	भुवनेश्वर www.rrbbs.gov.in
बिलासपुर www.rrbilaspur.gov.in	चंडीगढ़ www.rrbcdg.gov.in	चेन्नई www.rrbchennai.gov.in	गोरखपुर www.rrbgkp.gov.in
गुवाहाटी www.rrbguwahati.gov.in	जम्मू-श्रीनगर www.rrbjammu.nic.in	कोलकाता www.rrbkolkata.gov.in	मालदा www.rrbmalda.gov.in
मुंबई www.rrbmumbai.gov.in	मुजफ्फरपुर www.rrbmuzaffarpur.gov.in	पटना www.rrbpatna.gov.in	प्रयागराज www.rrbald.gov.in
बेंगलूरु http://www.rrbnc.gov.in	सिकंदराबाद www.rrbsecunderabad.gov.in	सिलीगुड़ी www.rrbiliguri.gov.in	तिरुवनंतपुरम www.rrbthiruvananthapuram.gov.in
रांची www.rbranchi.gov.in			

13.8 ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी गई जानकारी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सही साबित करने की ज़िम्मेदारी कैंडिडेट्स की होगी।

महत्वपूर्ण:

- उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ई-मेल आईडी सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे।
- आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपनी पंजीकरण संख्या को ध्यान से नोट करें और याद रखें। पंजीकरण संख्या प्रदान करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

14.0 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

खाता बनाने के बाद, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देशों का पालन करें।

- उम्मीदवारों को सही जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और जमा करने से पहले फिर से जांच करनी होगी।
- आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे।

c) परीक्षा का माध्यम: सीबीटी -1 और सीबीटी -2 के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (जैसे, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी एक में से परीक्षा के अपने माध्यम का चयन करना होगा। सीबीटी-1 और सीबीटी-2 प्रश्न चुनी गई

भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे। हालांकि, सीबीएटी केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा।

d) आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार को पैरा 7.1 में बताए गए परीक्षा शुल्क के भुगतान के तरीके का चयन करने और पैरा 7.0 में राशि के अनुसार भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण: कृपया भुगतान करते समय भुगतान के तरीके की वास्तविकता के साथ-साथ इस सीईएन के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय के बारे में सावधान रहें। अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।

(e) अंत में, शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन जमा करने की स्वीकृति होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सफल भुगतान पर एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा।

15.0 आवेदन का संशोधन:

- अपेक्षित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएं' फॉर्म (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने हुए आरआरबी में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को और संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है, तो वह प्रत्येक अवसर के लिए 250 / - (गैर-वापसी योग्य) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएं' फॉर्म (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए आरआरबी में भरे गए विवरण को बदला नहीं जा सकता है।
- संशोधन शुल्क का भुगतान सभी उम्मीदवारों द्वारा समुदाय और श्रेणी के बावजूद किया जाना है।
- यदि कोई उम्मीदवार अपने समुदाय को एससी/एसटी से यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में बदल देता है, तो उसे परीक्षा शुल्क में अंतर का भुगतान संशोधन शुल्क 250 के अलावा करना होगा। ऐसा करने में विफलता के मामले में, उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- इसी तरह, यदि कोई उम्मीदवार Ex.SM/Female/Transgender से यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/नॉन Ex.SM/Male आदि पर स्विच कर रहा है, तो उसे संशोधन शुल्क के अलावा परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा करने में विफलता के मामले में, उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क के भुगतान पर ऑनलाइन आवेदन के संशोधनों को कितनी भी बार अनुमति दी जाएगी।
- संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन में संशोधनों को इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय के 10 (दस) दिनों तक अनुमति दी जाएगी। संशोधन विंडो 17-06-2026 से 26-06-2026 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

16.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृति:

- ऑनलाइन आवेदन दूरस्रोतों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगे:
 - अलग-अलग आरआरबी या एक ही आरआरबी के लिए कई आवेदन: ऐसे मामले में, सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
 - कैंडिडेट की लाइव फोटो इमेज लेने के लिए पैरा 13.4 में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
 - परीक्षा के किसी भी चरण में 13.5.1 के तहत हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर उम्मीदवारी अस्वीकृत हो जाएगी।
 - उम्मीदवार का नाम किसी भी आरआरबी/आरआरसी की प्रतिबंधित सूची में शामिल है।
 - 16.0 (a) के तहत उपरोक्त पैरा में सूचीबद्ध विचलन सहित कोई अन्य अनियमितता जो इस दौरान पाई जाती है/ सीबीटी / सीबीएटी के लिए ई-कॉल पत्र जारी करने से पहले / बाद में आवेदन जांच चरण या दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान।

b) अस्वीकृत आवेदन: अस्वीकृत आवेदनों का विवरण संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लॉग इन करके देखा जा सकता है, साथ ही अस्वीकृति के कारण जो अंतिम और बाध्यकारी होंगे और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अस्वीकृत होने के कारण परीक्षा शुल्क का कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

17.0 ई-कॉल पत्र से संबंधित निर्देश:

- सीबीटी/डीवी अनुसूचियों के बारे में जानकारी और विवरण और ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक पैरा 13.7 में सूचीबद्ध आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। हालांकि, उम्मीदवारों को नियमित रूप से आरआरबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाना चाहिए क्योंकि आरआरबी के नियंत्रण से परे उम्मीदवार को एसएमएस/ईमेल की डिलीवरी में विफलता हो सकती है।
- योग्य उम्मीदवार सीबीटी / सीबीएटी की तारीख से लगभग 4 (चार) दिन पहले पैरा 13.7 पर दिए गए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों से सीबीटी / सीबीएटी के लिए अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।
- उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।
- सीबीटी/सीबीएटी के बारे में विस्तृत जानकारी और निर्देश ई-कॉल लेटर के साथ दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को उन्हें ईमानदारी से पढ़ना और उनका पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- मुफ्त यात्रा सुविधा:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में जो मुफ्त ट्रेन यात्रा के लिए पात्र हैं, उनके ई-कॉल पत्र में मुफ्त यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेलवे पास) शामिल होगा। ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-कॉल पत्र और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना मूल सामुदायिक प्रमाण पत्र और पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण साथ रखना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

- (f) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ई-कॉल लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो आईडी (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र के साथ लाना होगा, यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है, स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय फोटो आईडी कार्ड (यदि अभी भी पढ़ रहा है), आदि) परीक्षा हॉल में, ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (g) सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/एमई के दौरान, उम्मीदवारों को एक रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ लाना होगा जो सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/एमई की तारीख से दो महीने से अधिक पुराना न हो।

चेतावनी: उम्मीदवारों को स्व-घोषणा का पैराग्राफ लिखना होगा, केवल परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सीबीटी के स्थान पर ई-कॉल पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा और एलटीआई लगाना होगा और परीक्षा के समापन से पहले पर्यवेक्षक को सौंपना होगा। अग्रिम में स्व-घोषणा पैराग्राफ लिखने और/या बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर करने वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आरआरबी उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और शिफ्ट में किसी भी बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

18.0 मूल दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के प्रारूप का सत्यापन:

- (a) डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी के समय स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट के साथ अपने सभी मूल दस्तावेजों का उत्पादन करना होगा।
- (b) इसके अलावा, इन कैंडिडेट्स को अपनी DV तारीख से पहले फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी (असली रंग में) पोर्टल - <https://oirms-ir.gov.in/rrbdv> के ज़रिए अपलोड करनी चाहिए।
- (c) सभी प्रमाण पत्र या तो अंग्रेजी या हिंदी में ही होने चाहिए। जहां प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, वहां स्व-सत्यापित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) जहां भी / जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीवी के दौरान प्रस्तुत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सख्ती से होने चाहिए।
- (d) ऐसे उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, जो अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को प्रस्तुत नहीं करते हैं और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- (e) दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट

- (i) उम्मीदवारों को जो आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ विचार किया जाना चाहते हैं / या आयु-छूट चाहते हैं, दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में, सक्षम प्राधिकारी से मूल रूप में अपेक्षित / प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/एक्सएसएम/सीसीए स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि पात्र हैं तो उनकी उम्मीदवारी / आवेदनों पर यूआर श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (ii) शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र अर्थात् अनंतिम या नियमित में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ समेकित मार्कशीट या प्रत्येक पर परिणाम की घोषणा की तारीख के साथ सभी सेमेस्टर / वर्षों की व्यक्तिगत मार्कशीट प्रस्तुत की जानी चाहिए। इनमें से किसी भी प्रमाण पत्र में उत्तीर्ण होने की तारीख अनुपलब्ध होने की स्थिति में, इस आशय के लिए संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिणाम घोषित करने की तारीख को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र डीवी के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

19.0 अनुचित प्रथाओं का उपयोग:

- (a) कोई भी उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेते हुए पाया जाता है जैसे जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना, गलत जानकारी प्रदान करना या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना आदि, को जीवन भर के लिए सभी आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं में उपस्थित होने से वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से ही नियुक्त किया गया है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को उचित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है [21.06.2024 से प्रभावी "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024" अधिनियम की ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा]।
- (b) आरआरबी परीक्षा प्रक्रिया की प्रमाणिकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के बाद व्यापक विश्लेषण करते हैं। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में शामिल पाए गए उम्मीदवार सख्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें उम्मीदवारी को रद्द करना और सभी आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित करना शामिल है।
- (c) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए अनुचित और अनुचित प्रभाव का कोई भी उपयोग, संबंधित

उम्मीदवार को अयोग्य घोषित और प्रतिबंधित कर देगा।

चेतावनी: रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने वाले बेईमान तत्वों और नौकरी रैकेटियर्स से सावधान रहें - या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक तरीकों के उपयोग से। आरआरबी भर्ती के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया जाता है।

20.0 : विविध

- भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी बेमेल के मामले में, संबंधित आरआरबी किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे।
- आरआरबी के पास पहचान को क्रॉस-वेरिफाई करने और किसी भी उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रिया करने का अधिकार भी सुरक्षित है।
- आरआरबी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/एमई (यदि आवश्यक हो) का संचालन करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आरआरबी इस सीईएन में अधिसूचित एएलपी के पद के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया के हिस्से या पूरी को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।
- पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करने, झूठी जानकारी के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन के तरीके, सीबीटी के संचालन, परीक्षा केंद्रों के आवंटन, चयन आदि से संबंधित सभी मामलों में आरआरबी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में आरआरबी द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- आरआरबी किसी भी अनजाने / टंकण संबंधी त्रुटियों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और ऐसी त्रुटियों को ठीक करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। अनजाने / टाइपोग्राफिकल त्रुटि (ओं) के कारण, यदि किसी भी उम्मीदवार को या तो सीबीटी / सीबीएटी / दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है या परिणाम घोषित या सूचीबद्ध या नियुक्त किया जाता है, तो आरआरबी परिणामों को रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे उम्मीदवारों के पैनेल को रद्द / संशोधित करता है और यदि पहले से ही नियुक्त किया गया है, तो वह योग्यता और अवसर की समानता के सिद्धांत को विधिवत सुनिश्चित करते हुए सेवा से हटा दिया जाएगा। एक मौलिक आधार के रूप में।
- सीबीटी को उसके आवेदन को अंतिम रूप से स्वीकार करने और प्राप्त करने के बाद इस सीईएन से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मुद्दा, संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण / उच्च न्यायालय के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा, जिसके तहत संबंधित आरआरबी का चुनाव उम्मीदवार स्थित है। हालांकि, किसी भी कारण से आवेदन की अस्वीकृति के कारण उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के मामले में, इस सीईएन से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मुद्दा, जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जम्मू/उच्च न्यायालय के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट अधिसूचना के खिलाफ जारी किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण नोटिस के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों की जांच करें।
- व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण और बाद में आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों में प्रकाशित संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना को अंतिम माना जाएगा।

21.0 इस CEN में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी = कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीएटी = कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, डीवी = दस्तावेज़ सत्यापन, एमई = चिकित्सा परीक्षा
आरक्षण/आयु छूट श्रेणी	CCAA = कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, EBC = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ExSM = भूतपूर्व सैनिक, OBC-CL = अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर, OBC-NCL = अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर, SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, UR = अनारक्षित (सामान्य)
रेलवे जोन	सीआर = मध्य रेलवे, ईसीआर = पूर्व मध्य रेलवे, ईसीओआर = पूर्वी तट रेलवे, ईआर = पूर्वी रेलवे, एनआर = उत्तर रेलवे, एनसीआर = उत्तर मध्य रेलवे, एनईआर = उत्तर पूर्व रेलवे, एनएफआर = पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, एनडब्ल्यूआर = उत्तर पश्चिम रेलवे, एसआर = दक्षिणी रेलवे, एससीआर = दक्षिण मध्य रेलवे, एसईआर = दक्षिण पूर्व रेलवे, एसईसीआर = दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एसडब्ल्यूआर = दक्षिण पश्चिम रेलवे, डब्ल्यूआर = पश्चिम रेलवे, WCR = पश्चिम मध्य रेलवे, RRB = रेलवे भर्ती बोर्ड, RRC = रेलवे भर्ती सेल, CLW - चित्तंजन लोकोमोटिव वर्क्स
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)	एडीआई = अहमदाबाद, एआईआई = अजमेर, बीसीटी = मुंबई, बीबीएस = भुवनेश्वर, बीपीएल = भोपाल, बीएलएसपी = बिलासपुर, सीडीजी = चंडीगढ़, जीकेपी = गोरखपुर, जीएचवाई = गुवाहाटी, जाट = जम्मू श्रीनगर, केओएल = कोलकाता, एमएसएस = चेन्नई, एमएलडीटी = मालदा, एमएफपी = मुजफ्फरपुर, पीआरवाईजे = प्रयागराज पीएनबीई = पटना, आरएनसी = रांची, बीएनसी = बेंगलुरु, एससी = सिकंदराबाद, एसजीयूजे = सिलीगुड़ी, टीवीसी = तिरुवनंतपुरम
सामान्य	एएलपी=सहायक लोको पायलट, सीईएन = केंद्रीकृत रोजगार सूचना, आईडी= पहचान, एलटीआई = बाएं अंगूठे का निशान, ओटीपी = वन टाइम पासवर्ड, पीएसयू = सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीयू = उत्पादन इकाई, ईओ= शैक्षिक योग्यता, IFSC = भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, UPI = एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस

संस्थान/परिषद/प्रमाण पत्र	डीजीटी = प्रशिक्षण महानिदेशालय, आईटीआई = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एनएसी = राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाणपत्र, एनटीसी = राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र, एनओसी = अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनसीवीटी = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, एससीवीटी = राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,
---------------------------	---

चेतावनी: रेलवे में नौकरी हासिल करने के झूठे वादे करके या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों के उपयोग से धोखा देने की कोशिश करने वाले दलालों और नौकरी रैकेटियर्स से सावधान रहें। आरआरबी कभी भी अपनी ओर से कार्रवाई के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करते हैं। उम्मीदवारों को व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के अनुसार किया जाता है। बेईमान तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न फंसें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरआरबी को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरआरबी को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फर्जी वेबसाइटों और बेईमान तत्वों/दलालों द्वारा डाली गई सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहें।

सीईएन 01/2026: पोस्ट-वार पैरामीटर

कोटि संख्या	पद का नाम	7वें पीसी में स्तर	तनखाह	मॉडेल स्टैंडर्ड	बेचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता (पीडब्ल्यूबीडी)	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
1	सहायक लोको पायलट	2	19900	ए1	योग्य नहीं	<p>अ) फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक, मिलराइट/मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक (रेडियो और टीवी), इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक (मोटर वाहन), वायरमैन, ट्रेक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल वाइन्डर, मैकेनिक (डीजल), हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के ट्रेडों में एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस आईटीआई।</p> <p>(या)</p> <p>मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस कोर्स पूरा अधिनियम शिक्षता ऊपर उल्लिखित ट्रेडों में</p> <p>(या)</p> <p>आ) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग (या) में तीन साल का डिप्लोमा आईटीआई के बदले में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन इंजीनियरिंग विषयों की विभिन्न धाराओं का संयोजन।</p> <p>नोट: ऊपर के रूप में इंजीनियरिंग विषयों में डिग्री भी के बदले में स्वीकार्य होगा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।</p>

GEN 01/2026: एएलपी को आरआरबी और जान-वार रिक्ति

आरआरबी	क्षेत्र-विशेष	यूआर	अनुसूचित जाति	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	कुल	ExSM
अहमदाबाद	डब्ल्यूआर	62	22	11	38	14	147	15
अजमेर	एनडब्ल्यूआर	262	97	59	142	40	600	60
	डब्ल्यूसीआर	56	18	0	32	12	118	12
प्रयागराज	एनसीआर	284	37	27	65	44	457	45
	के पास	62	23	11	42	15	153	15
बेंगलुरु	एसडब्ल्यूआर	80	31	15	54	20	200	20
भोपाल	डब्ल्यूसीआर	194	74	23	117	15	423	42
	डब्ल्यूआर	15	8	0	6	1	30	3
भुवनेश्वर	ईसीओआर	370	120	58	176	77	801	80
बिलासपुर	सीआर	131	48	24	87	32	322	32
	एसईसीआर	84	29	14	53	20	200	20
चंडीगढ़	एन आर	56	39	23	49	20	187	19
चेन्नई	एसआर	93	24	14	41	14	186	19
गोरखपुर	एनईआर	28	11	37	17	12	105	10
गुवाहाटी	एनएफआर	272	109	63	164	68	676	68
जम्मू -श्रीनगर	एन आर	158	58	30	110	44	400	40
कोलकाता	ईआर	135	53	35	89	32	344	34
	एसईआर	280	101	52	40	24	497	50
मालदा	ईआर	109	41	20	73	27	270	27
	एसईआर	117	43	22	78	29	289	29
मुंबई	सीआर	290	207	99	344	138	1078	108
	एससीआर	32	7	4	26	9	78	8
	डब्ल्यूआर	14	5	3	10	5	37	4
मुजफ्फरपुर	ईसीआर	18	6	3	11	4	42	4
पटना	ईसीआर	41	16	8	28	10	103	10
रांची	ईसीआर	224	83	42	150	56	555	56
	एसईआर	248	150	63	213	71	745	74
सिकंदराबाद*	ईसीओआर	387	119	57	228	33	824	82
	एससीआर	238	90	45	162	61	596	61
सिलीगुड़ी	एनएफआर	243	90	46	161	60	600	60
तिरुवनंतपुरम	एसआर	28	8	5	22	1	64	7
कुल		4611	1767	913	2828	1008	11127	1114

*आरआरबी सिकंदराबाद के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को, दक्षिण तट रेलवे (South Coast Railway) के संचालन शुरू होने पर, वहाँ पदस्थ किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी * सुपुत्र/सुपुत्री * श्री/श्रीमती*
 गाँव/कस्बे* / जिला/मंडल* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
 के/की निवासी है और जाति*/जनजाति से संबंधित है, जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति* के

रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
- संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;
- [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है.]
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित
- संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
- संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962.
- संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964.
- संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967.
- संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968.
- संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978.
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978.
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.
- संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990.
- संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991.
- संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996.
- संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.
- संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.
- संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007.
- जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है.
- 2. यह नियम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रवास कर गए हैं.
- यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती* पिता/माता* श्री/श्रीमती/कुमारी को गाँव/कस्बा* ... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* का जो जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, दिनांक द्वारा जारी किया गया.
- 3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनका/उनकी* परिवार आमतौर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के गाँव/कस्बे* जिला/मंडल* में निवास करते हैं.

स्थान
 दिनांक

हस्ताक्षर
 पदनाम

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं.

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें.% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं है.

नोट: (ए) यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है.

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अपर डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं).
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट.
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं हैं.
4. उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है.
5. केन्द्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो.
6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह).

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करनेवाले
अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री*
श्री/श्रीमती
गांव/कस्बा* जिला/मंडल* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के
.....समुदाय से संबंधित हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के
संकल्प संख्या दिनांकित के अंतर्गत पिछड़ा
वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है.**

श्री/श्रीमती/कुमारी और/या उसका/उसकी परिवार सामान्यतः
..... राज्य/केंद्र राज्य क्षेत्र के
जिले/मंडल में निवास करते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और जिसे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(निवास) द्वारा संशोधित किया गया है.***

दिनांक:

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त
/कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी
कार्यालय मुहर

* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें।

** प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी बताई गई है।

*** जैसा समय-समय पर संशोधित किया गया है।

नोट:

ए) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्य रूप से निवास करता है' का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

बी) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं हो और उस क्षेत्र का उप-डिविजनल अधिकारी हो जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार रहता है।

दस्तावेज सत्यापन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा के लिए प्रोफार्मा,
जिन्होंने केंद्रीकृत रोजगार नोटिस संख्या 2

ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार द्वारा स्व-घोषणा

"मैं,

..... बेटा/बेटी

..... गांव/कस्बे/शहर का निवासी

....., जिला

..... राज्य इसके द्वारा घोषणा करें कि मैं

..... (अपनी उप-जाति को इंगित करें) समुदाय जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य

से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक

08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/अनुभागों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ और ओ.एम.संख्या

36033/1/2013-स्था. (आरईएस) दिनांक 13.09.2017।

स्थान: उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक: उम्मीदवार का नाम

आरआरबी रजि.एन. नहीं।:

सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र सं.....

दिनांक:

वर्ष के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी का स्थायी निवासी
गांव/गली डाकघर जिला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
..... पिन कोड जिसका फोटो नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि
उसके/उसकी "परिवार"*** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है.
उसके/उसकी परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है***:

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड.

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है.

आवेदक का हाल ही का
पासपोर्ट आकार का
फोटो।
इस प्रमाण पत्र को
जारी करने वाले
प्राधिकारी द्वारा

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर.....
नाम
पदनाम

* नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि.

** नोट 2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे.

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है.

आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त.
- (ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट.
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो और
- (iv) उप-मंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हो.

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2026 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रोफ़ॉर्मा **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र**

प्रमाणपत्र सं

1. उम्मीदवार का नाम:
2. पिता का नाम:
3. आयु:
4. आवासीय पता:
.....
.....
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों एवं आंकड़ों में):

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर:

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का अर्थ ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनकी पारिवारिक आय 50,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम है. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा सांसद
- (3) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के मौजूदा सांसद, जिसमें ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं.
- (4) देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केंद्रीय मंत्री.

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2026 के तहत दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परीक्षा शुल्क माफी का प्रारूप

अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला स्व-घोषणा पत्र

“मैं,

पुत्र/पुत्रीश्री

.....

गांव/कस्बा/शहर जिला

.....राज्य

का निवासी हूँ और एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं

..... (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित

अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/पारसी) से संबंधित हूँ.

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान:

उम्मीदवार का नाम

आरआरबी पंजीकरण संख्या.

नोट: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प-पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात मुस्लिम / सिख / ईसाई / बौद्ध / जैन / पारसी) से संबंधित हैं.

सहायक लोको पायलट के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला स्व-घोषणा का प्रारूप, लैसिक या अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा के संबंध में सीईएन संख्या 01/2026 के अंतर्गत

में,

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पुत्री

.....

के

निवासी

.....

में घोषणा करता हूँ कि मैंने लैसिक या कोई अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा नहीं करवाई है.

मैं यह भी सहमत हूँ कि यदि मेरी घोषणा झूठी पाई जाती है, तो मुझे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और रेलवे में सभी भर्तियों से वंचित कर दिया जाएगा.

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

आरआरबी पंजीकरण संख्या.....

सीईएन संख्या 01/2026 के तहत पूर्व सैनिक कोटा प्राप्त करने के लिए अपने कमांडिंग अधिकारी से प्राप्त रोजगार के संबंध में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पर सेवारत पूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप,

1. यह सूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____, जो _____ इकाई/कार्यालय में _____ (रैंक) के रूप में कार्यरत हैं, ने आरआरबी सीईएन _____ दिनांक _____ के तहत _____ के पद के लिए आवेदन किया है.

2. मैं, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ संख्या _____, जो _____ (रैंक) के रूप में कार्यरत हैं, के संबंध में निम्नानुसार प्रमाणित करता हूँ

ए) वह पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए _____ वर्ष (शब्दों में _____) की सेवा अवधि पूरी कर लेगा/कर चुका है, बशर्ते कि वह _____ (तारीख) को अन्य शर्तों को पूरा करे.

बी) वह इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख को _____ वर्ष की सेवा (शब्दों में _____) पूरी करेगा और सेना/वायुसेना/नौसेना सेवा से छुट्टी मिलने पर _____ वर्ष (शब्दों में _____) पूरी करेगा

सी) वह अपनी सेवा से छुट्टी और नियुक्ति _____ (दिनांक/माह/वर्ष प्रारूप में) को पूरी कर सकता है

डी) उसे पद पर चयनित होने पर सेवामुक्त किया जाएगा.

स्थान: _____ हस्ताक्षर:

दिनांक: _____ कमांडिंग ऑफिसर

कार्यालय मुहर

नाम एवं पदनाम/नियुक्ति/ इकाई

केंद्रीय कर संख्या 01/2026 के तहत पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर सिविल रोजगार के संबंध में पूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्व-घोषणा का प्रारूप

मैं समझता हूँ कि मैं इस केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) के अंतर्गत भर्ती के संबंध में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय पूर्व सैनिकों को स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर सिविल सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित) में कोई रोजगार प्राप्त किया हो।

मैं इसके साथ ही निम्नलिखित तथ्य भी घोषित करता हूँ:

ए) मैंने सी.ई.एन. के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पहले पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई सिविल रोजगार प्राप्त नहीं किया है।

बी) मैंने सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाया है तथा मैंने सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले सी.ई.एन. में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन(ओं) के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन दिया है, जिसके लिए मैंने आवेदन किया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व-घोषणा/वचन प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)।

स्थान: हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम:
.....

रोल नं:
.....

आरआरबी पंजीकरण संख्या.
.....

एसएसएमडी रेफरी सं. _____ <जमा करने की तारीख और समय>
(सीबीएटी परीक्षा के दिन जमा किया जाना है)

सहायक लोको पायलट (एएलपी)-सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन रिपोर्ट
भाग-ए

उम्मीदवार विवरण		फोटोग्राफ चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित उम्मीदवार द्वारा चिपकाया जाना है
उम्मीदवार का नाम:	कोटि:	
पंजीकरण संख्या:	संपर्क नंबर:	
जन्म तिथि :	ईमेल:	
एप्लाइड आरआरबी	एप्लाइड सीईएन:	

उम्मीदवार द्वारा स्व-जांच घोषणा
(उम्मीदवार की संपूर्ण प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया अनुलग्नक-ए (एसएसएमडी) देखें)

<p>शारीरिक स्वास्थ्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ कोई बोलने में बाधा, हकलाना या कमजोर आवाज नहीं ✓ कोई श्रवण दोष नहीं ✓ दोनों आंखों में बिना सहायता प्राप्त 6/6 दृष्टि ✓ कोई चश्मा/कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग नहीं किया गया ✓ कोई लेसिक या अपवर्तक सर्जरी नहीं ✓ कोई रंग अंधापन नहीं ✓ निर्धारित ऊंचाई, छाती और वजन मानकों को पूरा करता है <p>मानसिक स्वास्थ्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ कोई मनोरोग, न्यूरोलॉजिकल, ब्लैकआउट या जल्दी विकार नहीं ✓ निरंतर एकाग्रता और सतर्कता बनाए रखने में सक्षम 	<p>चिकित्सा स्थिति</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ कोई मधुमेह नहीं ✓ कोई उच्च रक्तचाप नहीं ✓ कोई कार्डियोवैस्कुलर या पुरानी प्रणालीगत बीमारी नहीं ✓ सेडेटिव दवा नहीं लेना <p>पदार्थ का उपयोग</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ कोई मादक या साइकोएक्टिव पदार्थ का उपयोग नहीं ✓ काम की सतर्कता को प्रभावित करने वाली शराब की कोई आदत नहीं
--	---

उम्मीदवार घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत जानकारी के कारण उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर:

तिथि:

सामान्य चिकित्सक द्वारा चिकित्सा प्रमाणन

<p>मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने उम्मीदवार की जांच की है और पाया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ कोई मधुमेह या उच्च रक्तचाप नहीं ✓ कोई न्यूरोलॉजिकल या मनोरोग विकार नहीं ✓ ड्यूटी को प्रभावित करने वाली कोई पुरानी बीमारी नहीं ✓ सहायक लोको पायलट कर्तव्यों के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट
<p>जनरल फिजिशियन का नाम: पंजीकरण संख्या। अस्पताल/क्लिनिक: हस्ताक्षर और मुहर: तारीख</p>

एसएसएमडी रेफरी सं. _____ <जमा करने की तारीख और समय>

(सीबीएटी परीक्षा के दिन जमा किया जाना है)

सहायक लोको पायलट (एएलपी)-सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन रिपोर्ट

भाग-B

उम्मीदवार विवरण		फोटोग्राफ चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित उम्मीदवार द्वारा चिपकाया जाना है
उम्मीदवार का नाम:	कोटि:	
पंजीकरण संख्या:	संपर्क नंबर:	
जन्म की तारीख	ईमेल:	
एप्लाइड आरआरबी	एप्लाइड सीईएन:	

उम्मीदवार द्वारा स्व-जांच घोषणा

(उम्मीदवार की संपूर्ण प्रतिक्रियाओं के लिए कृपया अनुलग्नक-ए (एसएसएमडी) देखें)

<p>शारीरिक स्वास्थ्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ कोई बोलने में बाधा, हकलाना या कमजोर आवाज नहीं ✓ कोई श्रवण दोष नहीं ✓ दोनों आंखों में बिना सहायता प्राप्त 6/6 दृष्टि ✓ कोई चश्मा/कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग नहीं किया गया ✓ कोई लेसिक या अपवर्तक सर्जरी नहीं ✓ कोई रंग अंधापन नहीं ✓ निर्धारित ऊंचाई, छाती और वजन मानकों को पूरा करता है <p>मानसिक स्वास्थ्य</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ कोई मनोरोग, न्यूरोलॉजिकल, ब्लैकआउट या जल्दी विकार नहीं ✓ निरंतर एकाग्रता और सतर्कता बनाए रखने में सक्षम 	<p>चिकित्सा स्थिति</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ कोई मधुमेह नहीं ✓ कोई उच्च रक्तचाप नहीं ✓ कोई कार्डियोवैस्कुलर या पुरानी प्रणालीगत बीमारी नहीं ✓ सेडेटिव दवा नहीं लेना <p>पदार्थ का उपयोग</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ कोई मादक या साइकोएक्टिव पदार्थ का उपयोग नहीं ✓ काम की सतर्कता को प्रभावित करने वाली शराब की कोई आदत नहीं
--	---

उम्मीदवार घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत जानकारी के कारण उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर:

तिथि:

नेत्र विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने उम्मीदवार की जांच की है और पाया है:

- ✓ सहायक लोको पायलट दृष्टि मानकों के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट (सीईएन के पैरा 3.0 का संदर्भ लें)
- ✓ दोनों आंखों में बिना सहायता प्राप्त दृष्टि 6/6:
 - (i) दूर की दृष्टि: 6/6 (फॉगिंग परीक्षण के साथ चश्मे के बिना, +2D के बिना)
 - (ii) निकट दृष्टि: एसएन 0.6,0.6 बिना चश्मे के
 - (iii) कलर विजन, दूरबीन दृष्टि, दृष्टि के क्षेत्र और रात्रि दृष्टि के लिए "सामान्य" के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की और मेसोपिक विजन
- ✓ कोई अपवर्तक सर्जरी नहीं की गई

नेत्र विशेषज्ञ का नाम:

पंजीकरण संख्या

अस्पताल/क्लिनिक:

हस्ताक्षर और मुहर:

तारीख

अनुलग्नक- IX

ऑनलाइन रेफरी नं _____ जमा करने की तिथि और समय

(यह फॉर्म ऑनलाइन जनरेट किया जाता है और इसे मैनुअल रूप से नहीं भरा जाना चाहिए)

प्रमाण पत्र पर श्रेणी-1 राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं

उम्मीदवार का नाम: _____

आवेदन संख्या : _____

प्रथम श्रेणी-राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
सत्यापित फोटोग्राफ

यह प्रमाणित है कि श्री/सुश्री _____ पुत्र/पुत्र श्री _____
निवास _____ आरआरबी के सीईएन 01/2026 के लिए आवेदन संख्या----- के साथ
आवेदन कर रहा है और उसकी नवीनतम तस्वीर जो आवेदन में है फोटो के साथ मेल खाती है ।

सत्यापन प्राधिकारी का नाम: _____

पद: _____

हस्ताक्षर: _____

राजपत्रित अधिकारी-1 की स्टाम्प / मुहर:

तिथि : _____

स्थान : _____

नोट: सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर इस तरह से चिपकाए जाने चाहिए कि यह आंशिक रूप से प्रमाण पत्र पर दिखाई दे और
आंशिक रूप से नवीनतम तस्वीर पर (चेहरे को ढंकना नहीं)।